



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन 1942 (श10)
(सं0 पटना 779) पटना सोमवार 5 अक्तूबर 2020

सं०-उ०नि०-39/2020-689
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
उर्दू निदेशालय

संकल्प

4 अगस्त 2020

उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 अन्तर्गत प्राप्त पाण्डुलिपियों में से अनुदान योग्य पाण्डुलिपियों के चयन तथा राशि के निर्धारण के लिए सरकार को अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु चयन समिति का गठन निम्नरूप से किया जाता है:-

(i)	प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार, पटना	—	अध्यक्ष
(ii)	प्रो० अलीमुल्लाह हाली, (सेवानिवृत्त) पूर्व विभागाध्यक्ष उर्दू मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	—	सदस्य
(iii)	प्रो० एजाज अली अरशद, (सेवानिवृत्त) पूर्व विभागाध्यक्ष उर्दू पटना विश्वविद्यालय, पटना	—	सदस्य
(iv)	निदेशक, उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना	—	सदस्य सचिव

- उक्त समिति के लिए कोरम अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या का आधा होगा।
- यह समिति वित्तीय वर्ष 2020-21 अन्तर्गत उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान की स्वीकृति हेतु चयन की अनुशंसा के लिए गठित रहेगी।

4. समिति पाण्डुलिपियों के चयन और अनुदान की राशि पर अपनी अनुशंसा अन्तिम निर्णय हेतु सरकार के समक्ष उपस्थापित करेगी।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि जन साधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाएगा तथा इसकी पचास प्रति उर्दू निदेशालय को उपलब्ध कराई जाए।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 779-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>